कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड

भवन संख्या 23, लेन नं0 03, शास्त्री नगर, हरिद्वाररोड़, देहरादून, 248001

Mail ID :*ukmssbdun@gmail.com*; Website : ***www.ukmssb.org***, Phone: **0135 2665366**

विज्ञप्ति संख्याः 116 / 2022 दिनांक 15 नवम्बर, 2022

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) परीक्षा– 2022 सम्बन्धी आवश्यक सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या उ0चि0से0च0बो0 / परी0(स्वा0कार्य0) / 12 / 2021–22 / 130, दिनांक 15 मार्च, 2022 के माध्यम से चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड में समूह 'ग' के अन्तर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के रिक्त 824 पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराये गए डाटा के अनुसार रिक्तियो की संख्या के लगभग दो गुना अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों का वर्षवार मैरिट के आधार पर बोर्ड कार्यालय द्वारा परीक्षण किया गया। आवेदन पत्रों के परीक्षण के पश्चात् कतिपय अभ्यर्थियों को निम्नलिखित कारणों से अनर्ह घोषित किया जाता हैः–

1. आई0एन0सी0 (भारतीय नर्सिंग काउंसिल) द्वारा समय–समय पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए0एन0एम0) की शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई है, जिसके अनुसार बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण कोर्स (ए0एन0एम0) उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही उक्त पद हेतु अर्ह है। अन्य अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी जैसे– बी0एस0सी0 नर्सिंग, जी0एन0एम0, पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग, फार्मासिस्ट, ब्यूटी कल्चर हैल्थ केयर आदि का अभ्यर्थन निरस्त किया जाता है।
2. स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) पद की सेवानियमावली के अनुसार उत्तराखण्ड नर्सेस एण्ड मिडवाइव्स काउन्सिल, देहरादून में पंजीकरण होना आवश्यक है। कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा अन्य राज्यों के नर्सिंग काउंसिल में पंजीकरण का उल्लेख आवेदन पत्र में किया गया है तथा आवेदन पत्र के साथ संलग्न (अपलोड) किया गया है। ऐसे अनर्ह अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त किया जाता है।
3. गलत दस्तावेज, गलत फोटो तथा गलत हस्ताक्षर आवेदन पत्र के साथ संलग्न (अपलोड) करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त किया जाता है।
4. कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा नाम / पिता का नाम तथा आवेदन पत्र के अन्य कॉलमों में NNN, MMM अंकित किया है तथा पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भी आवेदन किया गया है। ऐसे अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त किया जाता है।
5. कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा हाईस्कूल प्रमाण पत्र से भिन्न जन्मतिथि आवेदन पत्र में अंकित की गई है, जबकि वे हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार उक्त पद हेतु निर्धारित आयु से कम या अधिक आयु धारित करते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त किया जाता है।

उक्त कारणों से अनर्ह हुए अभ्यर्थियों की विस्तृत सूची बोर्ड की आधिकारिक वैबसाइट www.ukmssb.org पर उपलब्ध है।

ह0 / –
(गरिमा रौंकली)
सचिव,
उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड,
देहरादून।